

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), र

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : 210 अपील  
 व. 65/2016

दिनांक 24/07/2020 बनाम श्री हरिहर

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से
12.4.21	<p>पञ्जाबली केा हई आवज दिलाई गई। कसैल अपीलवाह उपस्थित। जेरोकाट सरकाट उपस्थित। रेस्पोंडेह संख्या 01 अपालतनी कडालतन अनुपस्थित। अतः इन्के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करे गई। कसैल अपीलवाह व जेरोकाट सरकाट के सुना जगना कडालतन गौर दिना क पञ्जाबली का अवलोकन किजा जगना। पञ्जाबली में उपलब्ध अपीलवाह द्वारा दाफत करे गई एका की 01 फिलि रिड पिटीशन नंबर 5232/2017 उम्माकी सुनेहुकाट दाफता बनात राजस्थान राज्य वगेराट में दिऐ गए निर्णय दिनांक 24.07.2020 परा संशोधित निर्णय दिनांक 09.11.2020 के अवलोकन से जाहिर होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिड भाचिका के स्वीकार किजा जगना है और रेस्पोंडेहस के प्राचिकाकर्ता द्वारा जरिऐ रिजिस्टर्ड रिफर पत्र दिनांक 25-07-2016 व 23-08-2016 द्वारा कए छे गई आराजी का नमानतबुठा निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पार सुप्राह में कोले के निर्देश दिऐ गए है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नमानतबुठा कोले के निर्देश दिऐ जाने के फलस्वरूप अपील अपीलवाह प्रभावित (गुप्तता) हो जाने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.07.2020 परा संशोधित दिनांक 9.11.2020 अनुसार अपील का निस्तापण दिजा जाता है। निर्णय और इजलास सुनाया जगना।</p> <p style="text-align: right;">अति. कलक्टर (द्वितीय)</p>